

अध्याय 1: प्रस्तावना


1.1 प्रस्तावना

भारत में भागीदारी फर्म व्यापार संगठन और व्यवसायिक गतिविधियों का एक सामान्य तरीका है। निगम क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय भी भागीदारी फर्म के रूप में संगठित हैं। आय कर अधिनियम 1961, (अधिनियम) शब्द 'फर्म' को परिभाषित नहीं करता; तथापि, अधिनियम की धारा 2(23) फर्म, भागीदार और भागीदारी के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में उसे दिया गया अर्थ बताता है। वित्त अधिनियम, 2009 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, भागीदारी फर्म पर लागू कराधान के प्रावधान, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत गठित एक फर्म पर लागू हैं।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के भाग के रूप में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रत्यक्ष करने के प्रशासन के प्रभार वाला शीर्ष निकाय है। सीबीडीटी का प्रमुख अध्यक्ष होता है और इसमें छः सदस्य शामिल हैं। कार्यों और जिम्मेदारियों के अलावा अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों, जिन्हें जोन के रूप में जाना जाता है, पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आय कर मुख्य आयुक्त (सीसीआईटी) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख होता है, जिसका क्षेत्राधिकार सामान्यतया राज्य के साथ बराबर होता है। प्रत्येक सीसीआईटी के सहायक सीआई, अतिरिक्त/संयुक्त सीआईटी, उप सीआईटी, सहायक सीआईटी और आईटीओ होते हैं।

ग्राफ 1.1: सीबीडीटी का संगठन



1.3 हमने यह विषय क्यों चुना

भागीदारी फर्म¹ (फर्म) के आय कर रिट्न में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: फर्म निर्धारिती बनाम रिट्न आय

निर्धारण वर्ष	फर्म (लाख में)	रिट्न आय (₹ करोड़ में)
वि.व. 09	7.18	36,942
वि.व. 10	7.60	41,781
वि.व. 11	7.75	45,647
वि.व. 12	6.99	51,482

फर्म 30.90 प्रतिशत (30 प्रतिशत के साथ 3 प्रतिशत उपकर) की दर से आय कर का भुगतान करती हैं और गैर निगमित निर्धारिती से किए गए कर संग्रहण में अधिकतम योगदान करती हैं। तथापि, उनके मामले में प्रभावी कर दर केवल 23.80 प्रतिशत² है क्योंकि फर्म निर्धारितियों को कर छूट दी जाती है। फर्म द्वारा ली जाने वाली विभिन्न कर छूटों के अलावा, उनके भागीदार भी फर्म के वितरण योग्य मुनाफे पर छूटें प्राप्त कर रहे हैं।

प्रत्येक वर्ष, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हम विभिन्न अनुपालन मुद्दों पर फर्म से संबंधित ड्राफ्ट पैराग्राफ सम्मिलित करते हैं। पूर्व में हमने फर्म और उनके भागीदारों के सह संबंधों के मामले और राजकोष को अनुवर्ती लाभ/हानि के साथ कराधान में उसके समग्र प्रभाव की जाँच नहीं की थी।

इस प्रकार, फर्म/भागीदारों के निर्धारण के संबंध में आय कर विभाग (आईटीडी) में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया का आश्वासन प्राप्त करने और कर छूटों से संबंधित प्रावधानों के संभावित दुरूपयोग के क्षेत्र में आवश्यक जाँच/नियंत्रण करने का उचित तंत्र मौजूद है यह देखने के लिए हमने 'फर्म के निर्धारण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की।

1 डीजीआईटी - सिस्टम्स, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटाबेस के अनुसार।

2 स्रोत: वि.व. 14 प्राप्ति बजट।

1.4 कानूनी प्रावधान

अधिनियम का अध्याय XVI फर्मों पर लागू विशेष प्रावधानों को निबंधित करता है। अधिनियम के अन्य प्रावधान जैसे अन्य निर्धारितियों पर लागू होते हैं उन पर भी लागू हैं। फर्मों के लिए विशिष्ट प्रावधान नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

धारा 184

- एक फर्म का निर्धारण फर्म के रूप में करना होगा यदि भागीदारी एक दस्तावेज द्वारा प्रमाणित है और उस दस्तावेज में सहयोगियों के व्यक्तिगत शेयरों को निर्दिष्ट किया गया है।

धारा 187

- जब निर्धारण करते समय, यह पाया जाता है कि फर्म के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है, निर्धारण फर्म के गठन के समय किए गए निर्धारण के अनुसार किया जाएगा।

धारा 188

- जहाँ एक फर्म पर दूसरी फर्म द्वारा जगह ले ली जाती है, पूर्ववर्ती फर्म और उत्तराधिकारी फर्म पर अलग अलग निर्धारण किया जाएगा।

धारा 189

- जहाँ एक फर्म द्वारा किया जाने वाला कोई व्यवसाय या पेशा आगे नहीं किया जाता या फर्म समाप्त कर दी जाती है, एओ फर्म की कुल आय का निर्धारण करेगा जैसे कोई समाप्ति या कार्य समाप्त नहीं किया गया हो।

धारा 40 (ख)

- भागीदारों को परिश्रमिक और ब्याज की कटौती के दावों के लिए शर्तें।

धारा 45 (3)

धारा 45 (4)

- फर्म के एक भागीदार द्वारा एक पूँजीगत परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से हुए लाभ या मुनाफे को उसकी आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा।

- एक फर्म की समाप्ति पर पूँजीगत परिसम्पत्ति के वितरण द्वारा पूँजीगत परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से लाभ या मुनाफे को उस फर्म की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा।

धारा 78

- जहाँ एक फर्म के गठन में कोई परिवर्तन हो, फर्म को एक सेवानिवृत्त/मृतक भागीदार के शेयर के बराबर हानि को अग्रेषित करने और छोड़ने का हक नहीं होगा।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करना है:

- क. प्रणाली, प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ख. अधिनियम की सुसंगत धाराओं और प्रावधानों का उचित उपयोग;
- ग. फर्मों और उनके भागीदारों के निर्धारण सह संबंधों की प्रणाली की मौजूदगी;
- घ. आयकर विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की जाँच;
- ड. अधिनियम के प्रावधानों में कमियों या अस्पष्टता और फर्म के निर्धारण से संबंधित प्रशासन या नीति में कमियां, यदि कोई हो तो, उन पर प्रकाश डालना।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

हमने वित्तीय वर्षों (एफवाई) वि.व. 11 से वि.व. 13 के दौरान और जून 2013 तक पूर्ण फर्मों का निर्धारण कवर किया।

1.7 नमूना आकार

हमने आईटीडी की क्षेत्रीय इकाईयों में संबंधित फर्मों की संख्या के निर्धारण के लिए महानिदेशक सूचना कर प्रणाली (डीजीआईटी-सिस्टम) द्वारा फर्मों से संबंधित प्रदान किए गए डाटा की छानबीन की और अलग किया। प्रत्येक यूनिट के जोखिम विश्लेषण के आधार पर हमने 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत यूनिटों (उच्चतम जोखिम कारकों वाली) का चयन क्रमशः मेट्रो और गैर मेट्रो प्रभारों की समीक्षा के लिए किया। चयनित यूनिटों में, समीक्षा हेतु हमने जाँच निर्धारण, अपील और सुधार के सभी मामलों का चयन किया। आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के संबंध में हमने समीक्षा के लिए निर्धारिती के रूप में फर्म वाले दो उच्च जोखिम आयुक्तालयों का चयन किया। केवल एक आयुक्तालय वाले राज्यों के मामले में, हमने रेंजों के स्तर पर सैंपलिंग की। हमने पूरे भारत में स्थित आयकर विभागों की निर्धारण यूनिटों से 27,944 निर्धारण रिकार्ड मंगवाए। तथापि, आयकर विभाग ने 26,328 निर्धारित रिकार्ड उपलब्ध करवाए और हमने इनकी लेखापरीक्षा की।

1.8 बाध्यताएं

निर्धारिति फर्म और उनके भागीदार अलग अलग क्षेत्राधिकारी प्रभार के अन्तर्गत आते हैं और उनका निर्धारण उनके संबंधित क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा किया जाता है। फर्म के भागीदारों को उनकी रिटर्न उसी एओ के पास भरने की आवश्यकता नहीं है जिसके पास निर्धारिति फर्म का क्षेत्राधिकारी प्रभार भी है। एओ के क्षेत्राधिकार प्रभार, जिसके अन्तर्गत फर्म के भागीदार आते हैं, की पहचान करने के तंत्र के अभाव में, लेखापरीक्षा अधिकतर मामलों में फर्म और उसके भागीदारों के मामलों को सह संबंद्ध नहीं कर सकती।

1.9 आभार

हमने सीबीडीटी के साथ मई 2013 में एंट्री कानफ्रेंस की जिसमें हमने लेखापरीक्षा जाँच के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और मुख्य केन्द्र बिन्दुओं के बारे में स्पष्ट किया था। भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग लेखापरीक्षा में सहयोग के लिए आयकर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

सीबीडीटी के साथ एक्जिट कानफ्रेंस (फरवरी 2014) में गई थी। हमने सीबीडीटी के विचारों को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया है।